भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

म्युटेशन अपील वाद संख्या–05 / 2023–24
राजकिशोर झा.....वादी
ओम प्रकाश झा वगैरह प्रतिवादी

–:आदेश:–

15/02/2025

अपीलकर्त्ता राजकिशोर झा, पिता–स्व0 बच्चेकान्त झा, साकिन–मोलनाकित्ता, थाना–गोड्डा मु0 सबडिविजन व जिला–गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के न्यायालय का नामान्तरण वाद संख्या–144 / 1964–65 पारित आदेश दिनांक–15.02.1966 ई0 के विरूद्ध लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा Bihar tenets holding maintenance of Rokat) Rule 1976 के अनुसार नामान्तरण वाद संख्या–144 / 1964–65 में पारित आदेश दिनांक–15.02.1966 ई0 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल नहीं की गई है। इसलिए अभिलेख को प्रविष्ट के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत के पश्चात अंचल अधिकारी गोड्डा सदर से मूल अभिलेख एवं प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–1194 / रा0 दिनांक–27.09.2023 के द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित करते हुए कहा गया है कि अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

विपक्षी के द्वारा इस वाद में उपस्थित होकर कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत मौजा–गोढ़ीघाट, थाना नं0–504, 513 जमाबंदी नं0–22 के दाग नं0–987 रकवा–00–13–06 धूर एवं 1026 रकवा–02–02–05 धूर दाग नं0–1029 रकवा–01–03–17 धूर कुल रकवा–03–19–08 तीन बीधा उन्नीस कट्ठा आठ धूर उनकी पुस्तैनी जमीन है। जो उनकी दादी अन्दोवती पुत्री चमक लाल झा को हिस्से में मिली है। जिस आधार पर उपरोक्त जमीन उनके पुत्र नुनुलाल झा जो विपक्षी के पिता है को उनके मरने के बाद प्राप्त हुआ है। जिसके कारण प्रश्नगत जमीन दिनांक– 15. 02.1966 ई0 को अंचलाधिकारी द्वारा सभी वैधानिक नियमों के अनुसार उनके पिता–नुनुलाल झा के नाम से नामान्तरित किया गया है। एवं उनका नाम अलग जमाबंदी नं0–22 / क कायम नामान्तरित जमीन का लगान लेकर लगान रसीद दी जा रही है। विपक्षी का यह भी कथन है कि अपीलकर्त्ता का प्रस्तुत अपील वाद 57 वर्ष 06 महीना 11 दिन के पश्चात प्रस्तुत की गई है जो बुरी तरह काल बाधित है। विपक्षी का यह भी कथन है कि प्रस्तुत जमीन के नामान्तरण के पश्चात अपीलकर्त्ता जमाबंदी नम्बर 22 के शेष बची भूमि का लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है। परन्तु हाल के वर्षो में अपीलकर्त्ता के प्रभाव में आकर कर्मचारी द्वारा लगान रसीद नहीं काटा जा रहा है। विपक्षी का यह भी कथन है कि नामान्तरित जमीन हाल सर्वे में उनके पिता नुनुलाल झा तथा उनके मरने के पश्चात उनके नाम वर्तमान सर्वे रोकड़ में दर्ज भी हो गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता का यह अपील बुरी तरह कालबाधित है एवं अपीलकर्त्ता विगत कई तिथियों से अनुपस्थित रह रहे है।

अभिलेख के अवलोकन तथा विपक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा यह अपील वाद 57 वर्ष 06 माह 11 दिन के पश्चात लाया गया है। जो कालबाधित है, तथा विपक्षी नामान्तरण के पश्चात ही अपने पूर्वजों के समय से ही नामान्तरित जमीन का लगान आदा कर रसीद प्राप्त कर रहे है।

अपीलकर्त्ता द्वारा विगत दस तिथियों से कोई अभिरूची अभिलेख में नहीं ली जा रही है।

अतः प्रविष्ट के बिन्दु पर ही अपीलकर्त्ता के अपीलवाद को खारिज किया जाता है। अचंलाधिकारी गोड्डा सदर को निदेशित किया जाता है कि राज्य हित में राजस्व प्राप्त हेतु नामान्तरित भूमि का भू–लगान विपक्षी से प्राप्त कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु यथाशीध्र आवश्यक कार्रवाई करें। जिससे राज्य हित में राजस्व की प्राप्ति हो सके।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर को भेजे। उन्हे निदेश दिया जाता है कि की गई कार्रवाई से न्यायालय को भी अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

15/02/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

15/02/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.03.10 11:50:34 +05:30
Location: 192.168.29.124